सेवा में –

माननीय अध्यक्ष महोदय
राष्ट्रीय हरित अधिकरण
फरीदकोट नई दिल्ली
भारत पिन– 110001

दिनांक– 05/07/2023

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0– 521/2022 , सम्पूर्णा नन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में हो रही कार्यवाही के कारण अवैध खनन माफियाओं द्वारा प्रार्थी को जान से मारने के सम्बंध में –

महोदय–

सादर अवगत कराना है कि उक्त केस में माननीय अधिकरण के निर्देश पर **दिनांक 23 व 24 नवम्बर 2022 को अहरौरा थाना क्षेत्र के भगौती देई, सोनपुर, बियाहूर व चकजाता** के पहाड़ो के खनन स्थलों का स्थलीय निरीक्षण केन्द्रीय जॉच समिति द्वारा किया गया था जिसमें बहुत ही ज्यादा खामियॉ पाई गई थी जिसकी रिपोर्ट भी माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में **दिनांक 03/02/2023 को केन्द्रीय जॉच समिति द्वारा भेजा गया था जो 06/02/2023 माननीय एनजीटी के साइट पर अपलोड किया चुका है ।** जिसमें कुल 40 खनन पट्टों का जिक है जिसमें से 39 खनन पट्टों के संचालकों पर सम्भावित जूर्माने की राशि बतायी गई थी साथ ही 26 केशर प्लांटों का भी जिक था और बताया गया था कि सभी मानक विपरीत संचालित हो रहे हैं जिसमें यह नही बताया गया था कि किस केशर प्लांट पर कितनी कितनी खामिया मिली जिसे माननीय अधिकरण ने गम्भीरता से लेते हुए **दिनांक 27/04/2023** जॉच समिति को यह निर्देश दिया कि प्रत्येक केशर प्लांटों का स्थलीय निरीक्षण करके प्रत्येक केशर प्लांटों का रिपोर्ट माननीय अधिकरण में 2 महीने के अन्दर सौप दें। जिसके उक्त निर्देश के कम में **श्रीमान् जिलाधिकारी मिर्जापुर की ओर से बनाई गई संयुक्त समिति ने दिनांक – 18/06/2023 को उपजिलाधिकारी चुनार के नेतृत्व में जॉच किया गया जिसमें दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के माध्यम से पता चला कि श्रीमान् उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि स्टोन केशर प्लांटों पर पर न तो समुचित ऊंचाई में बाउंड्रीवाल मिली न ही हरित पट्टिका विकसित करने के लिए पौधरोपण कराया गया था।पानी के छिड़काव आदि की व्यवस्था भी मानक के अनुरुप नहीं थी। वाटर मीटर भी नहीं पाया गया । यहां उड़ने वाली धूल के निस्तारण के लिए भी समुचित प्रबंध नहीं मिले। दिनांक 19/06/2023 के दैनिक जागरण समाचार पत्र का छाया प्रति संलगन है।** महोदय उक्त केस की सूनवाई दिनांक 03/07/2023 को हुई थी जिसका आर्डर आना अभी बाकी है लेकिन अवैध खनन करने वालों के अन्दर यह भय व्याप्त है कि अब अवैध खनन जरुर बंद हो जाएगा जिसके कारण कुछ अवैध खनन कर्ताओं प्रार्थी को कल,बल,छल आदि के माध्यम से डराया धमकाया जा रहा है यहां तक कि जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है इसी के लिए दिनांक 04/07/2023 को समय लगभग **9–10 बजे सुबह ग्राम भगौती देई, थाना अहरौरा जनपद– मिर्जापुर उ0प्र0 निवासी इंसाफ खॉ पुत्र श्री सरदार खॉ हमारे घर आए (जो की अवैध खनन का कार्य करते हैं) और हमारे पिता जी से बोले की कुछ पैसा लेकर मामले को रफा दफा कराइए तो पिता जी द्वारा साफ मना कर दिया गया जिस पर उक्त अवैध खनन कर्ता द्वारा कहा गया कि जान से भी हाथ धोना पड़ेगा ऐसा कहते हुए घर से चले गए आज दिनांक 05/07/2023 को अहरौरा थाना क्षेत्र के सोनपुर गॉव में**

एक युवक की हत्या हो गई है जिससे क्षेत्र में भय का माहौल है साथ ही इस घटना को लेकर प्रार्थी के परिजन काफी डरे और सहमें हुए हैं

अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देने का कष्ट करें और धमकी देने वालों के उपर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करवातें हुए उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही कराने का कष्ट करें महान कृपा होगी।

प्रार्थी
Sampurnanand
सम्पूर्णा नन्द 05/07/2023

ग्राम— भगौती देई, पो0— पटिहटा, चुनार थाना— अहरौरा मिर्जापुर उ0प्र0
पिन— 231304 मो0— 9450936703 इमेल 89sampurna@gmail.com